फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

बनाम्

रस्म प्रकरण : जगदीश बनाम सहूराम मुकदमा नं.– 168/2020

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
	एक पक्षीय प्रभाव में लायी जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 2/8/2022 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
2/8/22	वकुलाय उप। बहस सुनी गई। मिसल 6/9/22 को पेश वास्ते आदेश दिनांक हो। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
	पक्षकार/पक्षकारान क अधिवक्ता	
06/09/22	पीठासीन अधिकारी जी मिटिंग में/भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक- 22/09/22 को प्रस्तुत करें।	
22/09/22	वकुलाय उप। वाद वादी का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सा. मिसल किया गया। मिसल निर्णय नम्बर से कम होकर बाद तकमील एवं जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर रहे। [signature] सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत इकबाली जवाब दिनांक 20.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 व 4 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। वादग्रस्त खेतायों में खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा मौजा कठौती के खाता संख्या 1290 की भूमि का माफिक वादपत्र अनुसार बंट चाहा है।

उपरोक्त विवेचनानुसार मुतदाविया खेताय वादी एवं प्रतिवादीगण के पुश्तैनी होकर सहखातेदारी मे दर्ज होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि खातेदार भंवरी पत्नि चुनाराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा की भूमि मौजा कठौती के खेत खसरा नम्बर 1042 रकबा 2.9380 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1051 रकबा 4.4030 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1244 रकबा 0.8741 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1245 रकबा 1.7482 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.9227 हैक्टेयर वादी नं. 1 जगदीश एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 क्रंमश सतुराम, रूकमा, तुलछा व रामेश्वरी के सहखातेदारी एवं सहकब्जेकाश्त की घोषित की जाती है। शेष खाता बदस्तुर दर्ज रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 22/09/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलेक्टर
एस.डी.ओ. जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:16 IST
Reason: SelfAttested

जगदीश बनाम सतुराम वगैराह
वाद क्रमांक 168 / 2020
जीसीएमएस क्रमांक 2020 / 00305

डिक्री बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या 168 / 2020

वादी

1. जगदीश पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी कठौती तहसील जायल जिला नगौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सतुराम पुत्र चुनाराम
2. रूकमा पुत्री चुनाराम
3. तुलछा पुत्री चुनाराम
4. रामेश्वरी पुत्री चुनाराम
5. सुशील कुमार चौधरी पुत्र सतुराम समस्त जाति जाट निवासी गण कठौती तहसील जायल
6. मैनेजर स्टेट बैक ऑफ इंडिया, शाखा कठौती तहसील जायल
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद घोषणा खातेदारी बंटवाड़ा अधीन धारा 53, 88 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति –

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका
2. प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता मुकेश कुमार बिडियासर
3. प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के एकतरफा कार्यवाही

दिनांक– 22/09/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार बिडियासर एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :– **खातेदार भंवरी पत्नि चुनाराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा की भूमि मौजा कठौती के खेत खसरा नम्बर 1042 रकबा 2.9380 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1051 रकबा 4.4030 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1244 रकबा 0.8741 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1245 रकबा 1.7482 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.9227 हैक्टेयर वादी नं. 1 जगदीश एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 क्रंमश सतुराम, रूकमा, तुलछा व रामेश्वरी के सहखातेदारी एवं सहकब्जेकाश्त की घोषित की जाती है। शेष खाता बदस्तुर दर्ज रहे। तहसीलदार जायल राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।**

आज की तारीख लीज – मुबलिक – बाबत – खर्चा [illegible] मय सूद व शहर – फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक – को अदा करें। बसीब्त [illegible] दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22/09/22 को जारी किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:16 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

जगदीश बनाम सतुराम वगैराह
वाद क्रमांक 168/2020
जीसीएमएस क्रमांक 2020/00305

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बबत इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्नर बाबत् इजराय हुक्मीजान मुतफर्रिक		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया है या नही करना चाहिए।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:29:16 IST
Reason: SelfAttested